महिला सशक्तिकरण के शासकीय प्रयास

डॉ0 डेविड मुर्मू *

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के शब्दों में ''महिलाओं को सशक्त बनाना एक अच्छा राष्ट्र बनाने की पहली शर्त है। जब महिलाएँ सबल होती है, समाज पूरे विश्वास के साथ स्थिरता को पाता है। महिला सशक्तिकरण आवश्यक है, जिससे इनके विचारों एवं मूल्य पद्धति द्वारा एक अच्छे परिवार, समाज और अंततः एक अच्छे राष्ट्र के विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके।''

आज विश्वभर की सरकारें महिला सशक्तिकरण के अभियान में पूरे जोर–शोर से जुटी दिखाई देती है। इससे संबंधित गतिविधियाँ विगत एक दशक से अपने उबाल पर है। विभिन्न संगठनों व मंचों के माध्यम से सरकारें शक्तिहीन महिलाओं को सबल बनाने की प्रक्रिया में अपनी शक्ति झोकते दिखती है। महिला सशक्तिकरण आज एक केन्द्रीय मुद्दे के रूप में पहचाना जाने लगा है, जिसके माध्यम से महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक परिस्थितियों में सुधार के कवायद प्रारंभ हो गये हैं।

सशक्तिकरण शब्द के निर्माण में शक्ति का प्रयोग किया गया है। जिसका अर्थ भौतिक, सामाजिक के साथ–साथ बौद्धिक संपत्ति एवं संसाधन पर निमंत्रण करना होता है। ठीक उसी प्रकार सशक्तिकरण, सबलीकरण वास्तव में एक बहुआयामी अवधारणा है, जो व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों को इस योग्य बनाने का प्रयास करता है कि वे जीवन के प्रत्येक कार्य में अपनी पूर्ण स्मिता तथा शक्तियों को प्राप्त कर सके। सशक्तिकरण वास्तव में एक ऐसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमारे विचारों तथा प्रत्यक्षीकरण में परिवर्तन का सृजन करता है।[1]

महिला सशक्तिकरण की पहल 1985 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, नैरोबी में की गई थी। महिला सशक्तिकरण का सामान्य अर्थ है महिला को शक्ति संपन्न बनाना। परन्तु व्यापकता में इसका अर्थ बहुत गूंढ़ है। सशक्तिकरण का अभिप्राय सत्ता प्रतिष्ठानों में महिलाओं की साझेदारी से है। निर्णय लेने की क्षमता सशक्तिकरण का एक बड़ा मानक है। महिला सशक्तिकरण उन्हें नये क्षितिज दिखाने का प्रयास है जिसमें वे नई क्षमताओं को प्राप्त कर स्वयं को नये तरीके से देखेगी, घरेलू शक्ति संबंधों का बेहतर समायोजन करेंगी और घर एवं बाह्य परिवेश में स्वायत्तता की अनुभूति करेंगी। सशक्तिकरण का अर्थ है कि किसी कार्य को पुरूषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायत्तता है।[2]

महिला सशक्तिकरण का प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक दशा को सुधारना है और सामाजिक आर्थिक दशा में सुधार शिक्षा द्वारा ही संभव है। शिक्षा महिला सशक्तिकरण का आधार स्तंभ है। जब हम एक महिला को साक्षर करते हैं तो हम एक परिवार को साक्षर करते है। महिला शिक्षा की इसी महत्व को समझते हुए अब केन्द्र सरकार ने हर बेटी को पढ़ाने के लिए एक मुकम्मल योजना बनाई है और इसे नाम दिया है ''बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं''। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इस योजना की शुरूआत की। इस योजना में प्रारंभ से सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के 100 चुनिंदा जिलों को शामिल किया जा रहा है। इस अभियान के जरिए प्रधानमंत्री ने आधी आबादी को उसका मूलभूत अधिकार दिलाने की दिशा में एक नई पहल की है। सरकार की यह पहल महिला सशक्तिकरण की दिशा में निःसंदेह एक प्रशंसनीय कदम है।[3]

उल्लेखनीय है कि महिलाओं का सशक्तिकरण तब तक संभव नहीं है जब तक उन्हें आर्थिक स्तर पर सशक्त नहीं किया जाए। इतिहास गवाह है कि विभिन्न कालखण्डों में भारतीय महिलाएँ आर्थिक रूप से सदा पुरूषों पर निर्भर रही है और यहीं मानसिकता कमोवेश आज भी समाज में विद्यमान है। इस मानसिकता की काट निसंदेह शिक्षा में निहित है।

* पूर्व शोधछात्र, स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची

केन्द्र और राज्य सरकारों ने विगत कुछ दशकों से कई ऐसी योजनाएँ और कार्यक्रम संचालित किये हैं जो बालिका शिक्षा और उनके आर्थिक, सशक्तिकरण के लिहाज से महत्वपूर्ण और अनिवार्य है। जिसकी चर्चा नीचे की जा रही है।

1. **बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं योजना :** केन्द्र सरकार ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इस योजना की शुरूआत की। इस योजना में प्रारंभ में सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के 100 चुनिंदा जिलों को शामिल किया जा रहा है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन कल्याण मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। इसके तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी होगी की वह आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गर्भावस्था के पंजीकरण को प्रोत्साहित कराए। दूसरी संस्था के रूप में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को शामिल किया गया है। इस मंत्रालय की जिम्मेदारी होगी कि गर्भधारण पूर्व और जन्मपूर्व जाँच तकनीकों का निगरानी क्रियान्वयन कानून 1994 का पालन कराएं। इसके तहत अस्पताल या स्वास्थ्य केन्द्र में डिलीवरी पर महिला को सरकार की ओर से एकमुश्त 3500 रूपया दिये जाएंगे। तीसरी संस्था मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि लड़कियों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाए। कक्षाओं से होने वाले ड्रापआउट की दर को कम दिया जाय।[4]
2. **सुकन्या समृद्धि योजना :** इस योजना की घोषणा 10 जुलाई, 2014 को प्रस्तुत बजट में की गई थी। इस योजना के तहत 1 से 10 वर्ष आयु की कन्या का सरकार द्वारा अधिसूचित बैंक अथवा डाकघरों में बचत खाता खोला जाएगा। जिसमें सालाना 9.1 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलेगा। इस योजना में न्यूनतम एक हजार रूपये से डेढ़ लाख तक की रकम जमा की जायेगी। बेटियों के लिए बनाए गए इस विशिष्ट खाते में चौदह वर्ष तक धन जमा कराया जायेगा। इस खाते को कर से छुट प्रदान की गई है। कन्या के 18 वर्ष हो जाने पर 50 प्रतिशत रकम कन्या को मिलेगी तथा 21 वर्ष की आयु होने पर पुरी रकम कन्या को प्राप्त होगी।
3. **कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल :** कामकाजी महिलाओं सहित बच्चों की देखभाल के लिए होस्टल निर्माण या विस्तार के लिए यह योजना वर्ष 1972–73 से चल रही है। इस योजना में कामकाजी महिलाओं, रोजगार के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं और स्कूली, शिक्षा पूरा करने के बाद व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं किफायती आवास की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। इस स्कीम के तहत 902 होस्टलों को स्वीकृति दी गई हैं।
4. **रोजगार और प्रशिक्षण के लिए सहायता कार्यक्रम** : महिलाओं को रोजगार और प्रशिक्षण के लिए सहायता देने का कार्यक्रम 1986–87 में केन्द्रीय योजना के रूप में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य परम्परागत क्षेत्र में महिलाओं के कौशल में सुधार तथा परियोजना आधार पर रोजगार उपलब्ध कराकर महिलाओं की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार लाना है। इसके लिए महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत रोजगार के 10 परम्परागत क्षेत्र सम्मिलित किये गए हैं जो इस प्रकार हैं– कृषि, पशुपालन, डेयरी, मछली पालन, हथकरघा, हस्तशिल्प, खादी और ग्राम उद्योग, रेशम कीट पालन, परती भूमि विकास और सामाजिक वानिकी।
5. **स्वावलम्बन :** स्वावलम्बन कार्यक्रम जिसे पहले नौराड या महिला आर्थिक कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था, 1982–83 से पूरे देश में शुरू किया गया। इस योजना का उद्देश्य समूहों में गरीब और जरूरतमंद महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गो की महिलाओं को शामिल करना है। इस योजना के अंतर्गत महिला विकास निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों स्वायत संगठनों न्यासों और पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है।
6. **स्वयंसिद्धा :** 12 जुलाई, 2001 को केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयंसिद्धा योजना स्वयं सहायता समूह आधारित योजना है। पूर्व में चल रही इन्दिरा महिला योजना तथा महिला समृद्धि योजना को मिलाकर शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य महिलाओं का सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण करना है। योजना को चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू किया जा रहा है। प्रथम चरण में इसे देश के 650 विकासखंडों में संचालित किया गया। योजना के तहत 69615 स्वयंसहायता समूहों का गठन किया गया है जिनके 10.02 लाख महिला सदस्य है।

7. **राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति :** राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति, 2001 भविष्य के लिए महिलाओं की अनुभव की गई जरूरतों का समाधान करने और उनकी उन्नति, विकास और सशक्तिकरण के विषय में अभिव्यक्त लक्ष्य सहित एक कार्य योजना के तौर पर बनाई गई थी।
8. **स्वधारा :** वर्ष 2001–02 में केन्द्र सरकार द्वारा स्वधारा योजना शुरू की गई जो कठिन परिस्थितियों में पड़ने वाली महिलाओं के लाभ के लिए बनाई गई। इस योजना के तहत परित्यक्त महिलाएँ, विधवाश्रमों में रह रही महिलाएँ, प्राकृतिक आपदा में जिंदा बच गई निराश्रित महिलाएँ और आतंकवादी गतिविधियों से पीड़ित महिलाएँ इस योजना की पात्रा है। इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं में भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श व्यवस्था शामिल है। वर्तमान समय में देश में 311 स्वधारा गृह कार्य कर रहे हैं।
9. **स्वर्णिम योजना :** भारत सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रही है, उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2002 में संचालित की गई। इसके अंतर्गत 50 हजार रूपये तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज की दर निर्धारित की गई है। इन महिला उद्यमियों को ऋण वापस करने हेतु 12 वर्ष की लम्बी अवधि तय की गई है।
10. **महिला समाख्या योजना :** इस कार्यक्रम की शुरूआत केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1989 में की गई। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलओं को अपने अधिकार और कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक करने हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाना तथा क्रियान्वित करवाना है। इसके माध्यम से महिलाओं को शिक्षित किया जाता है ताकि वे परम्परागत और रूढ़िवादी विचारों से ऊपर उठकर समर्थ और निर्णय लेने वाली सशक्त नारी की भूमिका निभा सके।
11. **आशा योजना :** इस योजना की शुरूआत 11 जनवरी, 2005 को की गई। योजना के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए प्रत्येक गाँव में स्थानीय स्तर पर एक आशा कार्यकर्ता की तैनाती का प्रावधान है। योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सभी राज्यों में लागू किया गया है।
12. **बालिका समृद्धि योजना :** 2 अक्टूबर, 1997 से आरंभ इस योजना में 15 अगस्त, 1997 के बाद जन्मी बालिका के परिवार को ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में (गरीबी रेखा के नीचे रहने वला परिवार) बच्ची के जन्म के समय 500 रूपये की राशि (केवल दो लड़कियों तक) देने का प्रावधान है। इस बालिका के स्कूल जाने पर इस योजना में बालिका को एक छात्रवृत्ति दी जाती है। यह छात्रवृत्ति पहली कक्षा के लिए 300 रूपये तथा दसवीं कक्षा के लिए 1000 रूपये हैं।
13. **स्वशक्ति :** यह योजना 1998 में शुरू की गई थी। केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के सहयोग से यह योजना महिला विकास निगमों तथा स्वयंसहायता समूहों के माध्यम से संचालित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य जीवन स्तर में सुधार के लिए संसाधनों तक महिलाओं की पहुँच बढ़ाना है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक 57 जिलों में 120 गाँवों और शहरी बस्तियों में 17,000 से अधिक स्वयंसहायता समूहों का गठन किया जा चुका है। पूर्व में संचालित इंदिरा महिला योजना तथा महिला समृद्धि योजना को स्वशक्ति में सम्मिलित कर दिया गया है।
14. **निःशुल्क बालिका शिक्षा (इंदिरा गांधी इकलौती बालिका छात्रवृत्ति) योजना** : केन्द्र सरकार द्वारा 22 सितम्बर, 2005 में लिए गए निर्णयानुसार बालिकाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अब माता–पिता की अकेली कन्या संतान को छठी से बारहवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए 500 रूपये प्रतिमाह और मेडिकल तथा इंजीनियरिंग स्नातक कोर्स के लिए 1000 रूपया प्रतिमाह की छात्रवृत्ति का प्रावधान है। देश के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से परा–स्नातक शिक्षा प्राप्त करने पर 2000 रूपया प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है।

15. **बालिका प्रोत्साहन योजना :** वर्ष 2006–07 के वार्षिक बजट में घोषित इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 8 पास करने वाली बालिका को कक्षा 9 में नामांकित होने पर 3000 रूपया एकमुश्त राशि दी जाती है।
16. **किशोरी शक्ति योजना :** वर्ष 2001 में केन्द्रीय सरकार ने समन्वित बाल विकास योजना के अंतर्गत किशोरी बालिकाओं के लिए विशेष रूप से स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए किशोरी शक्ति योजना को संचालित किया। इस योजना को दो भागों में बाँटकर चलाया जा रहा है। पहली योजना ''गर्ल टू गर्ल एप्रोच'' तथा दूसरी ''योजना बालिका मंडल योजना''। पहली योजना 11 से 15 वर्ष आयु की किशोरियों के लिए तथा दूसरी योजना 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों के लिए हैं।
17. **जननी सुरक्षा योजना :** 1 अप्रैल, 2005 को शुरू की गई जननी सुरक्षा योजना पूर्व में चल रही मातृत्व लाभ योजना का संशोधित रूप हैं। वर्ष 2005–06 के बजट में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के एक उपांग के रूप में घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य केन्द्र में पंजीकरण तथा शिशु जन्म के उपरांत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है।
18. **कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना :** केन्द्र सरकार द्वारा यह योजना वर्ष 2004 में शुरू की गई। इस योजना के अन्तर्गत मुख्य रूप से प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिए दुर्गम क्षेत्रों में आवासीय सुविधाओं के साथ 750 विद्यालय खोले जा रहे है। यह योजना शैक्षिक रूप से पिछड़े केवल ऐसे विकास खंडों में लागू की गई जहाँ वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत से कम और लैंगिक भेद–भाव स्तर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है।
19. **मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति :** मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की शुरूआत केन्द्र सरकार समुदाय द्वारा 2003 में की गई, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक में गरीब प्रतिभाशाली बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करना है।
20. **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना :** केन्द्र सरकार द्वारा सितम्बर, 2005 में सांसद से राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम को पारित किया गया। अप्रैल 2008 से यह योजना पूरे देश में लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत श्रमिकों की संख्या में कम–से–कम एक तिहाई महिलाओं को आवश्यक रूप से रोजगार प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार महिलाओं में सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है।
21. **उज्जवला योजना :** महिलाओं की खरीद–फरोक्त की रोकथाम तथा व्यावसायिक यौन शोषण की शिकार महिलाओं के उद्धार, पुनर्वास और फिर से समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए केन्द्र प्रायोजित व्यापक स्कीम उज्जवला का शुभारंभ 4 दिसम्बर, 2007 को किया गया। इस योजना के पाँच घटक है– रोकथाम, रिहाई, पुनर्वास, पुनः एकीकरण और स्वदेश भेजना। वर्तमान समय में कुल 207 परियोजनाएं चल रही है जिनमें 104 पुनर्वास गृह शामिल है।
22. **धन लक्ष्मी योजना :** मार्च, 2008 में केन्द्र सरकार ने महिला शिशुओं को समाज में उचित स्थान दिलाने के लिए 'धनलक्ष्मी' नामक योजना की शुरूआत की है। इसके तहत् महिला शिशु के जन्म से लेकर इसके विवाह तक विभिन्न अवसरों पर निश्चित राशि का हस्तांतरण उसके परिवार को किया जायेगा।
23. **राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण स्कीम (सबला) :** भारत सरकार ने इस स्कीम की शुरूआत 2010–11 में की। इसके अन्तर्गत 11–18 वर्ष की स्कूली लड़कियों को पोषक आहार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त किशोरियों को पोषण स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, प्रजनन और यौन स्वास्थ्य, बच्चों की देखरेख और जीवन कौशल के बारे में भी शिक्षित करने का प्रावधान है।
24. **इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना :** प्रसूता एवं दुग्ध पान कराने वाली माताओं के लिए 2010–11 से यह नई योजना शुरू की गई। इसके अन्तर्गत 19 वर्ष से अधिक आयु की गर्भवती महिलाओं को उनके पहले दो जीवित बच्चों के छह माह की आयु तक तीन रिश्तों में 4000 रूपया की सहायता

राशि दी जाती है। इसका उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान छुट्टी की वजह से होने वाली वेतन हानि की प्रतिपूर्ति करना है ताकि उन्हें आर्थिक कारणों से गर्भावस्था के अंतिम दिनों तक या उसके तुरन्त बाद काम कर न जाना पड़े।

25. **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम :** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 1 जून, 2011 को प्रारंभ किया। इसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं तथा रूग्ण नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। इस योजना के अन्तर्गत मुफ्त सेवा प्रदान करने पर बल दिया गया है। इसमें गर्भवती महिलाओं को दवाई एवं खाद्य, मुफ्त इलाज, जरूरत पड़ने पर मुफ्त खून दिया जाना, घर से स्वास्थ्य संस्थान की सुविधा प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक वर्ष एक करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को लाभ मिल रहा है। इस कार्यक्रम से माता एवं नवजात शिशुओं की रूग्णता और मृत्युदर में कमी आने की संभावना हैं।
26. **स्त्री शक्ति पुरस्कार :** भारतीय महिलाओं ने आजादी के बाद अनेक भूमिकाऐं निभाई है और अनेक क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की है। इस दृष्टि से भारत सरकार ने 1999 में स्त्री शक्ति के नाम से 5 पुरस्कार शुरू किये देवी अहिल्या होलकर, कन्नगी, माता जीजाबाई, रानी गिडेनेलु जेलियांग और रानी लक्ष्मीबाई। वर्ष 2007 में स्त्री शक्ति पुरस्कार की उपश्रेणी में रानी रूद्रम्मा देवी का नाम भी जोड़ा गया। प्रत्येक पुरस्कार में 3 लाख रूपये का नकद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।

केन्द्र सरकार की उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त राज्य सरकारों ने अपनी–अपनी परिस्थितियों में महिला विकास और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया है।

योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए परिवेश के निर्माण में सरकार द्वारा किये गये अन्य महत्वपूर्ण प्रयासों में 1985 में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की गई। लेकिन विभाग के महत्व को देखते हुए 2006 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अस्तित्व में आया जिसका उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चों के समग्र विकास को वांछित गति प्रदान करना है। महिला अधिकार और उसकी आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर महत्व दिया जाए। इसके लिए संवैधानिक संस्था राष्ट्रीय महिला आयोग (1992) की स्थापना की गई। वित्तीय संसाधन का अभाव महिला विकास को अवरूद्ध न कर दे इसलिए भारत सरकार ने मार्च 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई। संपूर्ण देश का ध्यान महिला अधिकारों के प्रति आकृष्ट करने लिए एवं उनके गरिमामयी उत्थान के लिए वर्ष 2001 को ''महिला सशक्तिकरण वर्ष'' के रूप में मनाया गया।[5]

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की संख्या 587 मिलियन है, जो कुल आबादी का लगभग 49 प्रतिशत है। केन्द्र सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जीवन के सभी पक्षों में लैंकिग समानता सुनिश्चित करने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। राष्ट्र की मुख्यधारा में महिलाओं को सम्मिलित करने एवं उसे सशक्त बनाने के लिए भारतीय संविधान ने अनेक संवैधानिक उपबंध किये है। विभिन्न अनुच्छेदों में उसकी रूपरेखा निम्न प्रकार परिलक्षित होती है।

⇨अनुच्छेद 14 – राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में समान अधिकार एवं अवसर पर बल।

⇨ अनुच्छेद 15 (1) – राज्य किसी भी नागरिक के विरूद्ध लिंग के आधार पर विभेद नहीं करेगा।

⇨ अनुच्छेद 15 (3) – राज्य के महिलाओं के लिए विशेष उपबंध करने का अधिकार है।

⇨ अनुच्छेद 16 – लोक नियोजन में अवसर की समानता।

⇨ अनुच्छेद 19 – विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।

⇨ अनुच्छेद 21 – प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता।

⇨ अनुच्छेद 23 – मानव व्यापार व बलात श्रम का प्रतिषेध।

⇨ अनुच्छेद 24 – 14 वर्ष से कम आयु के बालक/बालिका के नियोजन की मनाही।

⇨ अनुच्छेद 39 (क) महिला व पुरूष को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन मिले।

⇨ अनुच्छेद 39 (घ) : पुरूष व स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो।

- ⇨ अनुच्छेद 39 (ङ) – पुरूष व स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का दुरूपयोग न हो तथा आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर उन्हें ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु व शक्ति के प्रतिकूल हो।
- ⇨ अनुच्छेद 42 – राज्य काम की न्यायसंगत व मानवोचित दशाओं का तथ प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा।
- ⇨ अनुच्छेद 46 – अनुसूचित जाति व जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि।
- ⇨ अनुच्छेद 47 – पोषाहार और जीवन स्तर सुधार के लिए लोक स्वास्थ्य का सुधार।
- ⇨ अनुच्छेद 51 क (ङ) – महिलाओं के सम्मान के विरूद्ध जारी प्रथाओं का त्याग एवं समरसता एवं भ्रातृत्व की भावना का विकास।
- ⇨ अनुच्छेद 243 (घ) (3) – प्रत्येक पंचायत में एक तिहाई सीट स्त्रियों के लिए आरक्षित।
- ⇨ अनुच्छेद 243 (घ) (4) पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए भी एक तिहाई सीट स्त्रियों के लिए आरक्षित।
- ⇨ अनुच्छेद 243 (न) (3) – नगरपालिका में एक तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित।
- ⇨ अनुच्छेद 243 (न) (4) – नगरपालिका में अध्यक्ष पद के लिए एक तिहाई आरक्षण महिलाओं के लिए।
- ⇨ अनुच्छेद 325 – भेदभाव बिना निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने का अधिकार।

उपरोक्त संवैधानिक उपबंधों के अतिरिक्त महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए अधिनियमों का प्रयोग औपनिवेशिक काल से ही किया गया। महिलाओं के प्रति सोच में बदलाव लाने के लिए अधिनियमों का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया गया जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम 1956, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1995, (सन् 2005 में संशोधित), कारखाना अधिनियम 1958, (1986 में संशोधित), दहेज निषेध अधिनियम 1961, (सन् 2012 में संशोधित), प्रसूति हितलाभ अधिनियम 1961, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1969, भारतीय तलाक संशोधन अधिनियम 2001, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम प्रतिषेध और निवारण) विधेयक 2012 और महिलाओं के खिलाफ जघन्य यौन अपराध विधेयक 2013 मुख्य है।

सरकारी एवं विभिन्न गैर सरकारी स्तर पर विगत छः दशकों के प्रयास ने पुरूषों के नजरिये में बदलाव लाने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की है। साथ ही महिला अधिकारों ने ऐसी प्रक्रिया को जन्म दिया है जिसमें वे संगठित होकर अपने सत्त विकास को प्राप्त कर रही है।

संदर्भ सूची

1. रवि प्रकाश यादव, रागिनी, दीप. पूजा, राय (2010); लैंगिक हिंसा एवं महिला सशक्तिकरण, आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर पृ.सं. 155–56.
2. राज, श्रीवास्तव (2011); झारखण्ड में महिला सशक्तिकरण, के.के. पब्लिकेशन, इलाहाबाद, पृ.सं. 1.
3. कुरूक्षेत्र (2014); महिला सशक्तिकरण, सम्पादकीय से, वर्ष 61, अंक–05, मार्च, पृ.सं. 4.
4. बलवंत सिंह, मौर्य. (2014); कुरीतियाँ मिटाओं, बेटी पढ़ाओं, कुरूक्षेत्र, अंक–05, वर्ष 61, पृ.सं. 5–6.
5. संतोष कुमार, सिंह (2015); महिला सशक्तिकरण एवं सरकारी प्रयास, कुरूक्षेत्र, वर्ष–61, अंक–05, मार्च, पृ.सं. 26–30.